



कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़(छ.ग.)

क्रमांक / 789 / स.अ.भू.अ. / 2020
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 7 / 7 / 2020

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी(CHIPS)
रायपुर (छ.ग.)

विषय:-

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India) के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला क्षेत्र के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत लैलूंगा, एवं धरमजयगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु मार्ग में प्रभावित राजस्व वनभूमि 0.407 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं वन भूमि रकबा 16.922 हे.कुल भूमि 17.329 हे. का FRA प्रतिवेदन मार्ग समानांतर प्रस्तावित आर्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु CEO छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) रायपुर के नाम से प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ:-

प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर के पत्र क्रमांक/भानेप्रो-II/वनभूमि/एफआरए-अनापत्ति/2019-20/33 रायपुर दिनांक 28.01.2020।

—00—

मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स स्टेट डाटा सेंटर भवन सिविल लाईन्स रायपुर (छ.ग.) द्वारा "भारत नेट प्रोजेक्ट" के तहत रायगढ़ जिला क्षेत्र के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत लैलूंगा, एवं धरमजयगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर आर्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की भू-प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है।

राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)

क्रमांक	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नं.	प्रभावित क्षेत्र का रकबा (हे.)	मद(छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)	रिमार्क
1	धरमजयगढ़	आमगांव	152/1/ढ/1	0.021	बड़े झाड़ के जंगल	
2	धरमजयगढ़	बोरो	280/11	0.036	छोटे झाड़ के जंगल	
3	धरमजयगढ़	बोरो	272/1	0.002	छोटे झाड़ के जंगल	
4	धरमजयगढ़	बोरो	349/1/क/1	0.014	बड़े झाड़ के जंगल	
5	धरमजयगढ़	बोरो	46/1	0.002	छोटे झाड़ के जंगल	
6	धरमजयगढ़	बोरो	41/1क	0.005	छोटे झाड़ के जंगल	
7	धरमजयगढ़	बोरो	73/1	0.001	छोटे झाड़ के जंगल	
8	धरमजयगढ़	बोरो	75/1	0.006	छोटे झाड़ के जंगल	
9	धरमजयगढ़	जबगा	182/1क	0.006	बड़े झाड़ के जंगल	
10	धरमजयगढ़	जबगा	242/1	0.026	बड़े झाड़ के जंगल	
11	धरमजयगढ़	जमरगीड़ी	448/1	0.001	बड़े झाड़ के जंगल	
12	धरमजयगढ़	जोगड़ा	104/1	0.013	बड़े झाड़ के जंगल	
13	धरमजयगढ़	कूमा	66	0.002	बड़े झाड़ के जंगल	
14	धरमजयगढ़	कूमा	231	0.001	छोटे झाड़ के जंगल	
15	धरमजयगढ़	पखनाकोट	502/1	0.025	बड़े झाड़ के जंगल	
16	धरमजयगढ़	रीलो	110/1क/1	0.018	बड़े झाड़ के जंगल	
17	धरमजयगढ़	रीलो	295/1क	0.007	बड़े झाड़ के जंगल	

18	धरमजयगढ़	ससकोबा	502 / 18	0.009	बड़े झाड़ के जंगल
19	धरमजयगढ़	ससकोबा	382 / 1क	0.073	बड़े झाड़ के जंगल
20	धरमजयगढ़	ससकोबा	505 / 1क	0.004	बड़े झाड़ के जंगल
21	धरमजयगढ़	सिसरिंगा	944 / 1क	0.013	छोटे झाड़ के जंगल
22	धरमजयगढ़	सिसरिंगा	952 / 1	0.005	छोटे झाड़ के जंगल
23	धरमजयगढ़	सिसरिंगा	508 / 3	0.064	बड़े झाड़ के जंगल
24	धरमजयगढ़	सिवार	185 / 2	0.011	बड़े झाड़ के जंगल
25	लैलूंगा	गमेकेला	452 / 5	0.005	छोटे झाड़ के जंगल
26	लैलूंगा	करवारजोर	220	0.005	छोटे झाड़ के जंगल
27	लैलूंगा	करवारजोर	224	0.001	छोटे झाड़ के जंगल
28	लैलूंगा	पाकरगांव	31 / 14	0.004	बड़े झाड़ के जंगल
29	लैलूंगा	पाकरगांव	31 / 2	0.003	बड़े झाड़ के जंगल
30	लैलूंगा	सोनाजोरी	537 / 1	0.011	बड़े झाड़ के जंगल
31	लैलूंगा	सोनाजोरी	835 / 1	0.013	बड़े झाड़ के जंगल
योग			31	0.407	

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वनभूमि श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैरवानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तथा संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

पृ. क्रमांक / 729A / स.अ.भू.अ. / 2020
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 7/7/2020

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)

1. सचिव छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. वन मंडलाधिकारी वन मंडल रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर को सूचनार्थ।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)

FORM-1
(for linear project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Raigarh

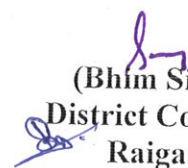
No

Date -----

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **17.329 Hact.** forest land proposed to be diverted in favour of **CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHIPS) Raipur, C.G** (Name of User Agency) for Laying Optical Fiber Cable for Bharat Net Project Phase-II (purpose for Diversion of forest land) in Dharamjaigarh Forest Division falls within Jurisdiction of Raigarh District i.e. Dharamjaigarh and Lailunga Block. It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **17.329** hectares of forest area, proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (Not Applicable)
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it; (Not Applicable)
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. As the Purpose of the use of the land in essence is not diverted but only for allowing Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHIPS) Raipur, C.g. for laying underground Optical Fiber Cable for Bharat Net Project Phase-II (A Part of Digital India).


(Bhim Singh)
District Collector
Raigarh